न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :—सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 45/2023

1. भादरराम पुत्र बुधराम जाति सुथार निवासी सलेमगढ तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
प्रार्थी

बनाम्

1 इन्द्राज पुत्र तुलछाराम
2. मनोज } पि0 ओमप्रकाश
3. कैलाश }
4. बृजलाल }
5. बलराम } पि0 तुलछाराम
6 लालचन्द }
जाति सुधार निवासी सलेमगढ तहसील टिब्बी जिला

7. कमला पुत्री तुलछाराम पत्नी सुरजाराम जाति सुथार निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ।
8. विनोद कुमार } माता गुड्डी देवी पुत्री तुलछाराम पत्नी भादरराम जाति सुथार
9. रणवीर कुमार } निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ।
10. बिरमादेवी पुत्री तुलछाराम पत्नी मोतीराम जाति सुथार निवासी जोरावरपुरा हनुमानगढ।
11. मैनादेवी पुत्री तुलछाराम पत्नी सुल्तानराम जाति सुथार निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ।
12. लिछमादेवी पत्नी तुलछाराम जाति सुथार निवासी सलेमगढ तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
13. तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।
14. प्रवीण सिंह पुत्र लाखन सिंह जाति रापजूत निवासी सलेमगढ।

अप्रार्थीगण

राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955 धारा 251ए आरटीए.
उपस्थिति :—श्री रूपराम कासनिया अधिवक्ता प्रार्थी
श्री सुभाष गर्ग अधिवक्ता अप्रार्थीगण
श्री भंवरलाल गौड अधिवक्ता अप्रार्थी स0 14

निर्णय दिनांक: 7/4/26

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण 1, 4 ता 7, 10 ता 12 के नाम व अप्रार्थीगण सं0 2 व 3 के पिता औमप्रकाश तथा अप्रार्थीगण सं0 8 ता 9 की माता गुड्डी देवी के नाम की कृर्षि भूमिं चक 1 केएसपी ए के प0न0 188/296 मु0 23 किलानं0 5,6,15, 16/1/.177, प0न0 189/295 मु0 21 किलानं0 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 15/1, 15/2,15/3 व प0न0 189/296 मु0 24 किलानं0 1,2,3, 6/1, 6/2, 8,9,10,11,12, 13, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2 17 24, 25/1, 25/2, प0न0 190/296 मु0 25 किलानं0 10, 11 आराजी खातेदारी राजस्व रिकार्ड में अंकित है, वास्त मुलाहिजा जमाबन्दीयॉ पेश है । प्रार्थी की आराजी चक 1 केएसपी ए के प0न0 188 / 296 मु0 23 किलानं0 5,6 व प0न0 189 / 295 मु0 27 किलानं0 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 622, 6/3, 15/1, 15/2, 15/3, प0न0 189 / 296 मु0 24 किलानं0 1,2,3, 8, 9, 10, 13 आराजी खातेदार राजस्व रिकार्ड में अंकित है व अप्रार्थीगण की आराजी चक 1 केएसपी ए के प०न० 188/296 मु0 23 किलानं0 15, 16 / 1 व प0न0 189 / 296 मु0 24 किलानं0 6/1, 6/2, 11,12,14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ज 24, 25/1, 25/2 प0न0 190/296 मु0 25 किलानं0 10, 11 आराजी राजस्व रिकार्ड में खातेदारी अंकित में खातेदार है। नकल

सहायक कलेक्टर टिब्बी

जमाबन्दी पेश है। प्रार्थी अपने खेत में अप्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 1 केएसपी ए के प0न0 189/296 के मु0 22 के किलानं0 14, 15, की दक्षिणी दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर आवागमन करता है जिसका अप्रार्थीगण ने कभी भी विरोध नही किया अब अप्रार्थीगण उक्त रास्ता बंद करने व रास्ता मिटाने पर आमादा है। अगर अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ता बंद कर दिया तो प्रार्थी को भारी कठिनाईयो का सामना करना पड़ेगा व अपने खेत की काश्त करने व सामान लाने ले जाने में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा व प्रार्थी के खेत में जाने के लिए इस रास्ता के अलावा और कोई रास्ता नही है। अप्रार्थीगण सं0 2 व 3 के पिता व अप्रार्थी सं0 8, 9 की माता की मृत्यू हो चुकी है इसलिए उनके जायज कानूनी वारिसों को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को अपनी आराजी के प0न0 189/295 के किलानं0 5,6,15 मे से खाला स्वीकृत करवाया व साथ नक्का भी मंजूर करवाकर दिया ताकि भविष्य में पानी लगाने में कठिनाईयों का सामना न करना पड़े क्योकि प्रार्थी व अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है वास्तु मुलाहिजा नक्के की स्वीकृति रसीद पेश है। अप्रार्थीगण के पिता ने प्रार्थी को कभी भी प0न0 189/296 के किलानं0 14, 15 में आवागमन करने से कभी नही रोका अब अप्रार्थी सं0 1 इन्द्राज के मन में बेजा लालच आ गया इसलिए धमकी दे रहा है कि वह इस रास्ता को बंद कर देगा। उक्त किले बटवारां में इन्द्राज को मिले हुए है। प्रार्थी प0न0 189/296 के किलानं0 14 व 15 में आवागमन करता है व अप्रार्थी की जमीन अप्रार्थीगण से चिपती है। प्रार्थी उक्त किलों में से एक एक गट्ठा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है व उक्त रास्ता में आई जमीन के बदले में चिपती भूमि या डीएलसी रेट की दोगुनी राशि देने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने के लिए चक नं0 1 केएसपी ए के प0न0 189/296 किलानं0 14, 15 में से दक्षिणी दिशा में पूर्व से पश्चिम एक एक गट्ठा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश फरमाया जावे ताकि प्रार्थी अपनी आराजी सुचारू रूप से काश्त कर सके।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया नोटिस की सम्यक् रूप से तामिल होने के बाद भी अप्रार्थीगण स0 2,3,5,6,8,12 असालतन/वकालतन न्यायालय हाजिर नही आने के कारण उक्त अप्रार्थीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी स0 2,3,5,6 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी पेश होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी स0 2,3,5,6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही आदेश अपास्त किया गया, अप्रार्थीगण स0 1,4,7,9,10,11 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो इस प्रकार है कि दफा 1 में आराजी का विवरण दर्ज है जो स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की दफा 2 में आराजी का विवरण दर्ज है जो स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की दफा 3 में दर्ज तथ्य स्वीकार नही । चक नं० 1 केएसपी ए के प0न0 189/296 मु0 22 किलानं0 14 व 15 में कभी भी कोई रास्ता चालू नही रहा है इसलिए उक्त दफा मे दर्ज तथ्य कि उक्त रास्ता को अब अप्रार्थीगण बंद करने व मिटाने पर आमादा है, गलत साबित होता है क्योकि उक्त रास्ता न तो पूर्व में कभी चालू रहा है व ना ही वर्तमान में चालू है। हम अप्रार्थीगण की भूमि किलानं0 15 में हमारा पुराना कुआं बना हुआ है तथा किलानं0 14 व 15 में रास्ता स्वीकृत होने से हम अप्रार्थीगण की भूमि दो टूकड़ो में विभक्त हो जावेगी। प्रार्थी, चकनं० 1 केएसपी ए के प०न० 189/296 मु0 22 किलानं0 4 व 5 में पत्थर लाईन पर रास्ता स्वीकृत करवा सकता है। प्रार्थना पत्र की दफा 4 में दर्ज तथ्य ज्ञान के अभाव में स्वीकार नही है । चक नं० 1 केएसपी ए के प0न0 189/296 मु0 22 किलानं0 14, 15 मे कभी कोई रास्ता चालू नही रहा है तथा ना ही पूर्व में हम अप्रार्थीगण के पिता के जीवनकाल में हमारी आराजी में से कोई रास्ता चालू था।

प्रार्थना पत्र की दफा 5 में दर्ज तथ्य कि प्रार्थी प0न0 189/296 के किलानं0 14, 15 में आवागमन करता है, गलत दर्ज किया गया है क्योकि उक्त किलानं0 14 व 15 में रास्ता चालू ही नही रहा है व ना ही वर्तमान मे चालू है तो प्रार्थी का हम अप्रार्थीगण की भूमि में आवागमन करने का कथन गलत साबित होता है। प्रार्थी किसी प्रकार से रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी नही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय खारिज किया जावे। अप्रार्थी स0 2,3,5,6 के जवाब वावत् अप्रार्थी अप्रार्थी अधिवक्ता ने पूर्व में प्रस्तुत जवाब पर अंकन किया कि उक्त अप्रार्थीगण का जवाब भी यही समझा/पढा जावे अप्रार्थी स0 14 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि उक्त अनुवानी जेरकार अदालत हाजा के प्रकरण में प्रार्थी ने अपने प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 12 के नाम से अंकित कृषि भूमि चक 1 के. एस.पी.ए. के प0न0 188/296 कि0न0 14 व 15 में आवागमन करता है॰ इस स्थिति में प्रार्थी को अपने खेत में आने–जाने के लिए चक 1 के. एस. पी. ए. के उक्त वर्णित प0न0 189/296 कि0न014–15 में से दक्षिणी दिशा में पूर्व से पश्चिम एक–एक गड्ढा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रेकार्ड में इसका अंकन किये जाने का अनुतोष मांगा है। इसके अतिरिक्त वैकल्पिक रास्ता का अनुतोष नही मांगा है। प्रार्थी के उक्त प्रार्थनापत्र पर अदालत द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाते हुवे आरम्भ की गई प्रक्रिया के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को तलब किया गया और टी.डी.आर. से उक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत मौके की रिपोर्ट ली गई। तत्पश्चात् उक्त प्रकण में मुताबिक फर्दअहकाम दिनांक 06.06.2025 को ष्पत्रावली पेश हुई, वकील उभयपक्ष उपस्थित, बहस सुनी गयी, पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 10.06.2025 को पेश हो। अप्रार्थीगण एक व चार क्रमशः इन्द्राज, बृजलाल की ओर से प्रार्थनापत्र आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. का पेश किया गया, जिसे दिनांक 17.06.2025 के फर्द अहकाम के तहत शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण का उक्त प्रार्थनापत्र गैर कानूनी एवं विधि विरूद्ध के प्रार्थनापत्र है। कि मुताबिक फर्द अहकाम पत्रावली दिनांक 04.07.2025 को दिये गये निर्णय में प्रस्तुत किये गये प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर मुझ अप्रार्थी प्रवीण सिं पुत्र लाखन सिंह जाति निवासी सलेमगढ़ को अप्रार्थीगण संख्या–14 पर दर्ज करते हुवे उक्त प्रकरण में बतौर पक्षकार के तलब किया गया है। अप्रार्थी प्रवीण सिंह द्वारा उक्त पारित आदेश के संदर्भ में निम्न आपत्तियाँ प्रस्तुत कर रहा है– कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में मुझ अप्रार्थी को पक्षकार नही बनाया गया है। जबकि विधि अनुकूल एवं विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत प्रार्थी ही अपने प्रकरण में अप्रार्थीगण को बतौर प्रकरण में पक्षकार बनाने का कानूनी अधिकारी होता है। चूंकि Master of Suit प्रार्थी ही है। कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र के जरिये अप्रार्थीगण संख्या–1 ता 12 के खिलाफ ही अपना याचित अनुतोष मांगा है। कि प्रकरण में टी.डी. आर. टिब्बी द्वारा प्रस्तुत अलग अलग दो रिपोटीं में मौके की स्थिति को बतौर विरोधाभाषी के प्रस्तुत की है। वास्तविक मौके की स्थिति को स्पष्ट नही अंकित किया गया है। कि मुझ अप्रार्थी की उक्त प्रश्नगत भूमि चक 1 के. एस.पी.ए. के खाता संख्या–41/43 में पड़ती है, जोकि जेरकार प्रकरण के खता भूमि से भिन्न खाता है। कि मुझ अप्रार्थी को प्रार्थनापत्र आदेश 01 नियम 10 को बिना सुनवाई किये मेरे खिलाफ निर्णित किया गया है जोकि सरासर विधिक प्रावधानों के खिलाफ एवं गैर कानूनी रूप से विनिश्चित किया गया निर्णय है। चूंकि प्रार्थी के प्रकरण में अप्रार्थी एक आवश्यक व उचित पार्टी के नही बनती है। जिससे मुझ अप्रार्थी का विधिक प्राप्त अधिकार का उल्लंघर है, जिसके लिये माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि जाप्ता दिवानी के आदेश 1 नियम 10 (2) के अन्तर्गत विधिसमत् प्राधिकृत अधिकार अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 के एवं जाप्ता दिवानी की धारा 151 के तहत मुझ अप्रार्थी को अपने

विधिसमत् प्राप्त अधिकार के प्रति न्यायिक दृष्टि से पारित पूर्व आदेश अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 का पुर्नअवलोकन करते हुवे जेरकार प्रकरण में से मुझ अप्रार्थी का नाम कलमजन किये जाने का आदेश फरमाया जावे। कि जेरकार प्रकरण में प्रार्थी द्वारा मुद्दा अप्रार्थी के खिलाफ किसी प्रकार से अनुतोष नही मांगा गया है, इस स्थिति में भी मुझ अप्रार्थी के खिलाफ की जा रही कार्यवाही निरस्तनीय है। चूंकि मूल प्रार्थना के ही विधिक अनुकूल निर्णय किया जाना विधिसमत् बनता है। इस स्थिति में जेरकार प्रार्थनापत्र स्वीकार नही है। कि मुताबिक मौका रिपोर्ट उक्त प्रकरण में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट श्रीमान् तहसीलदार टिब्बी के अवलोकन से सही स्थिति को नही दर्शाया गया है। मुझ अप्रार्थी की प्रश्नगत भूमि खाता संख्या–41/43 के पत्थर नम्बर 189/296 मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 4 में ढ़ाणी बनी हुई है व मुझ अप्रार्थी के किलों सहित भूमि टुकड़ों में विभाजन होगी जिससे काश्त करने में कठिनाई होगी। कि मौका रिपोर्ट की चरण संख्या–3 से सपष्ट है कि प0न0 189/296 (24) कि0न0 5, 6, 15, 16, 25 में मंजूरशुदा सरकारी रास्ता प्रार्थी के खेत से निकटतम रास्ता है। इस स्थिति में महज अप्रार्थी संख्या – 1, 4, 7, 9, 10, 11 की ओर से प्रस्तुत अपने जवाब प्रार्थनापत्र की चरण संख्या–3 में अंकित उक्त कथन कि किला नम्बर 14 व 15 में रास्ता स्वीकृत होने से हम अप्रार्थीगण की भूमि दो टुकड़ों में विभक्त हो जावेगी। प्रार्थी चक नम्बर 1 के. एस. पी. ए के 0न0 189/296 मु०न० 22 किला नं0 4 व 5 में पत्थर लाईन पर रास्ता स्वीकृत करवा सकता है। निवेदित है कि उक्त कथन जवाब प्रार्थनापत्र में शुमार ना होकर बतौर सुझाव के अकिंत है कि रास्ता किस प्रकार से दिया जाना चाहिये, जो कि विधिसमत् नही, चुंकि अप्रार्थीगण से सुझाव नही मांगा गया है, अपितु उन्हें केवल अपना जवाब ही देना न्यायोचित एवं विधि अनुकूल बनता है। उक्त कथन दर्शातो हैं कि अप्रार्थीगण मुझ अप्रार्थी से रंजिश रखते हैं एवं जानबूझकर तंग एवं परेशान करने की गर्ज से मुझ अप्रार्थी के खिलाफ उक्त कार्यवाही करने के लिये अदालत हाजा के समक्ष तथ्य लाये हैं ना की न्यायहित में। कि मौका रिपोर्ट की चरण संख्या–4 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त कथन अप्रार्थीगण के प्रभाव में आकर दर्ज किये हैं, चूंकि चरण संख्या–3 में स्थिति स्पष्ट दर्ज है। कि मौका रिपोर्ट की चरण संख्या–6 के अवलोकन से स्थिति स्पष्ट है ष्प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता उनके खेत से लघुत्तम दूरी पर है। मौका रिपोर्ट की चरण संख्या–17 में स्पष्ट दर्ज है कि आवेदित रास्ता लघुत्तम दूरी पर स्थित है। मौका रिपोर्ट की चरण संख्या–8 में अंकित कथन कि उक्त बिन्दू संख्या–6 में वर्णितानुसार पुराना जो अब मिट्टी डालकर बंद किया हुआ है, जिसकी पुष्टि चरण संख्या–9 में अंकित की है कि उक्त वर्णितानुसार आवेदित रास्ते में कोई अवरोध नही। मौका रिपोर्ट में अंकित कथन कि अप्रार्थीगण इन्द्राज वगैरा उक्त आवेदित रास्ता देने पर वर्तमान में सहमत नही हैं। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण की इच्छा के अनुसार मुझ अप्रार्थी के खिलाफ गैर कानूनी रूप से विधि विरूद्ध, विधिक प्रावधानों के विपरीत न्यायिक सिद्धांतों की अनदेखी करने के लिये ही उक्त प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही करते हुवे पक्षकार बनाया गया है जोकि सरासर विधि विरूद्ध है, इस स्थिति में मुझ अप्रार्थी का बतौर पक्षकार के प्रारम्भिक तौर से कलमजन किये जाने के हैं एवं मुझ अप्रार्थी के खिलाफ कार्यवाही निरस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे। अन्य तथ्यों को वरवक्त बहस अदालत हाजा से निवेदित किये जाने का निवेदन है।

तहसीलदार राजस्व टिब्बी के पत्रांक क्रमांकः–राजस्व/2025/384 दिनांक 25.02.2025 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त की गयी, मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है प्रार्थी पडोसी काश्तकारो की भूमि से ही अपने खेत में आगमन करता है। प0न0 184/296 मु0 24 किला न0 5,6,15,16,25 मंजुरशुद्धा रास्ता ही निकटतम सरकारी रास्ता है। आवेदित रास्ता के अलावा मु0 24 के किला न0 4 व 5 की उतरी

अधिकारी एवं
यक कलेक्टर
टिब्बी

सरकारी रास्ता है। आवेदित रास्ता के अलावा मु0 24 के किला न0 4 व 5 की उतरी सींव के साथ रास्ता स्वीकृत होने पर भी प्रार्थी अपने मु0 24 के किला न0 3 में प्रवेश कर अपने खेत मे आवागमन कर सकेगे इस रास्ते व आवेदित रास्ते की दूरी समान है। इसी मु0 न0 24 के किला न0 15 के दक्षिणी पूर्वी कोने पर पुराना कुआ था जो वर्तमान में मिट्टी डालकर बंद कर दिया है। वर्तमान में उस स्थान पर लकडिया पडी है। रिपोर्ट शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी बहस पर मनन किया पत्रावली व पत्रावली के संलग्न तहसीलदार रिपोर्ट मय नजरी नक्श का अवलोकन किया गया हस्तगत प्रकरण में न्यायालय को यह देखना है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में नया रास्ता स्वीकृत करने से संबधित प्रावधान के अनुसार प्रार्थी के लिए नया रास्ता तभी स्वीकृत किया जा सकेगा जब न्यायालय को यह समाधान हो जाता है कि (1) यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नही है (2) अन्य खातेदार की जोत मे से विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध हो गया हो, (3) प्रस्तावित रास्ता मंजूरशुद्धा रास्ते से लघुतम दूरी का हो। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार टिब्बी की रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में प्रवेश के लिए रास्ते के आत्यांतिक आवश्यकता है, प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में याचित रास्ता एंव अप्रार्थी स0 14 की खातेदारी भूमि मु0 24 के किला न0 4 व 5 में रास्ते की दूरी समान है। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में कथन किया गया कि प0न0 189/296 मु0 22 किला न0 4 व 5 में पत्थर लाईन पर भी रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है परन्तु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251ए के प्रावधानों में पत्थर लाईन पर ही रास्ता स्वीकृत किये जाने का कोई प्रावधान नही है। प्रावधानानुसार लघूतम दूरी एव वैकल्पिक रास्ते के अभाव सिद्ध हो जाने पर ही रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा याचित अनुतोष भी प0न0 189/296 किला न0 14 व 15 में से है न कि किला न0 4 व 5 में से। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251ए के प्रावधानो के सुसंगत होने के कारण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर चक न0 1 केएसपी ए के प0न0 189/296 किला न0 14,15 में से दक्षिणी दिशा मे पूर्व से पश्चिम एक बिश्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। रास्ते के बदले में आयी भूमि के बदले में उतनी ही भूमि प्रार्थी के किला न0 13 में स्वीकृत किये गये रास्ते की कॉर्नर को छोडते हुए पूर्वी दिशा में उतर से दक्षिण में चक 1 केएसपी ए के खाता स0 68/33 में वर्णित खातेदारो के नाम संयुक्त रूप से दर्ज किया जावे व प्रार्थी का हिस्सा कम किया जावे। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद करे।

निर्णय आजदिनांक 7/4/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नारायण R.A.S)
पदेन सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी
टिब्बी जिला हनुमानगढ़